

प्ररूप 5 (नियम 44 (2) देखिये)

1. आवेदक का नाम :- 2. पिता/पति का नाम :- 3. (एक) वर्तमान पता :- (i) मकान/घर संख्या (ii) मोहल्ला / गावं (iii) ग्राम पंचायत/वार्ड सं० (शहरी क्षेत्र) (iv) ब्लॉक / शहर : (v) जिला : मोबाइल : (दो) स्थायी पता : 4. श्रेणी: अ.जा./अ.ज.जा./ ओ.बी.सी. / अल्प संख्यक / सामान्य 5. आयु (वर्षों में) 6. जन्म तिथि 7. शैक्षणिक योग्यता 8. वैवाहिक स्थिति :- विवाहित/अविवाहित / विधुर/ विधवा / (जो लागू न हो उसे काट दें)	आवेदक का फोटो
---	-----------------------------

आवेदक का
फोटो

9. परिवार का विवरण :-

10. अन्य विवरण (यदि कोई हो तो)

[illegible]

11. वर्तमान नियोजकों सहित उन नियोजकों के नाम तथा पते जिनके लिए पिछले 2 माह में कार्य किया

S.N.	कार्यस्थल का विवरण	क्या काम किया	कितने दिन काम किया (कार्य अवधि)	नियोजका का नाम पता	वर्तमान नियोजक के हस्ताक्षर व मोबाईल नम्बर
1.					
2.					
3.					

12. मैं सत्यनिष्ठा/ईश्वर की शपथ लेकर कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान व जानकारी के अनुसार सही है। सही नहीं पाये जाने की स्थिति में मुझे दी गयी राशि मण्डल को वापिस करने का वचन देता हूँ। यह भी धोणा करता हूँ कि मैंने पूर्व में अन्य किसी जिले या स्थान पर हिताधिकारी के रूप में पंजीयन नहीं कराया है।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

13. प्रमाणित किया जाता है कि पुत्र/पुत्री/पति निवासी
..... निर्माण श्रमिक के रूप में नियोजक / व्यक्ति (नाम व पता)
..... के निर्माण कार्य पर पिछले एक वर्ष की अवधि में दिन तक
कार्य करता रहा / रही है। तथा वह निर्माण श्रमिक है।

नियोजक / ठेकेदार के हस्ताक्षर तथा नाम
पता टेलिफोन नं०

निर्माण श्रमिकों की यूनियन के अध्यक्ष /
महामंत्री के हस्ताक्षर व यूनियन का नाम व
पता व पंजीयन सं०

पंचायत के कार्यकारी अधिकारी (ग्राम सचिव)
क्षेत्र के श्रम निरीक्षक के हस्ताक्षर नाम व

पंजीयन आदेश

अधोहस्ताक्षर द्वारा आवेदन के पत्र में वर्णित जानकारी के जाँच उपरान्त संतुष्ट होने पर पंजीयन की स्वीकृति दी जाती है।

दिनांक.....

नाम व हस्ताक्षर

श्रम निरीक्षक / प्राधिकृत अधिकारी

(नियम 44(4)के अन्तर्गत नाम निर्देशन) (प्ररूप-छः)

में अपनी मृत्यु की दशा में मण्डल की ओर से मुझे देय समस्त बकाया राशि प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तिगत अधिकारवान वारिस के रूप में नाम निर्देशित करता/करती हूँ:-

क्रम संख्या	नामिति/नामितियों का नाम व पता	हिताधिकारी से संबंध	आयु	नामिति को दी जाने वाली राशि का प्रतीशत

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का

निशान

आवेदन पत्र भरने में संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश

1. आवेदक के कॉलम एक व दो में कम से आवेदक तथा उसके पिता/पति का पुरा नाम अंकित किया जाना है।
2. कॉलम तीन(एक) में आवेदन का वह पता अंकित किया जाना है जिस पर वह वर्तमान में निवास कर रहा है पता पूर्ण लिखा जावे इसी प्रकार कॉलम तीन (दो) में आवेदक के स्थाई निवास का पूर्ण पता अंकित किया जाना है।
3. कॉलम चार में आवेदन अ.जा./अ.ज.जा आदि जिस वर्ग का हो इसके अतिरिक्त अन्य वर्गों का काट दिया जाना है। जिसमें आवेदक का वर्ग स्पष्ट हो सकें।
4. कॉलम पांच में आवेदन की तिथि आवेदक द्वारा पूर्ण कर ली गयी आयु के वर्ष तथा कॉलम छः में उसकी जन्म तिथि वर्ष/माह/दिन में अंकित की जानी है। आवेदक की आयु के प्रमाण के लिए स्कूल का प्रमाण पत्र अथवा मृत्यु रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र अथवा सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र सलंगन किया जाना आवश्यक है।
5. कॉलम संख्या सात में आवेदक कि शैक्षणिक योग्यता (जो कक्षा उत्तीर्ण का हो) अंकित की जानी है।
6. कॉलम संख्या आठ में आवेदक कि वैवाहिक स्थिति में जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाना है।
7. कॉलम संख्या ग्यारह में आवेदक वर्तमान में जिस नियोजक के पास निर्माण कार्य कर रहा है। इसके सहित पिछले 12 माह में किये गये निर्माण कार्यों के नियोजकों का विवरण अंकित किया जाना है वर्तमान नियोजक नाम ,पता तथा दूरभाष संख्या आवश्यक रूप से अंकित की जावे। जिससे आवश्यक होने पर पुष्टि कि जा सकें।
8. कॉलम नं0 नौ आवेदक के परिवार के विवरण अंकित किया जाना है।
9. कॉलम संख्या दस में यदि आवेदन का बैंक खाता संख्या एवं बैंक शाखा का नाम तथा आधार नम्बर,भामाशाह कार्ड, ई.एस.आई/ई.पी.एफ.खाता संख्या और बी.पी.एल कर विवरण अंकित किया जाना है।
10. कॉलम 12 में आवेदक द्वारा दिये गये विवरण कि सत्यता की धोषणा की जाने है। जिससे उसके हस्ताक्षर/अंगूठे की निशान अंकित की हो।
11. कॉलम 13 में आवेदक के निर्माण कर्मकार होने का प्रमाण पत्र है जिसे विवरण अंकित कर कर्मकार के नियोजक ठेकेदार द्वारा अथवा श्रम निरक्षक द्वारा (उपरोक्त चारों में से कोई एक) हस्ताक्षर से जारी किया जावेगा यह प्रमाण पत्र आवेदक के पंजीयन हेतु आवश्यक है।
12. उपरोक्त वर्णित प्ररूप-छः में आवेदक द्वारा नामित/नामितियों का विवरण अंकित कर पुनः हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अंकित किया जाना है।

विशेष:- पूर्णरूप से भरे आवेदन के साथ आयु को प्रमाण पत्र तथा निर्माण कर्मकार होने का प्रमाण पत्र के अतिरिक्त तीन पासपोर्ट साईज की रंगीन फोटो (एक आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर चिपकाई जानी है तथा दोनो फोटो सलंगन की जानी है।) सलंगन किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त निर्धारित पंजीयन शुल्क 25 रुपये तथा अंशदान राशि पांच रुपये मासिक/60 रुपये वार्षिक भी जमा कराना होगा ।